न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2011 G.C.M.S. No. 2011/00036 दर्ज दिनांक : 01.04.2011

अपीलार्थी:

1. अदराराम पुत्र जवारा, जाति माली, निवासी भीनमाल, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. किशोरमल पुत्र जवारा
2. पारसमल पुत्र जवारा
3. राजमल पुत्र जवारा
4. जेठाराम पुत्र तेजाराम
5. पन्नाराम पुत्र तेजाराम
6. थानाराम पुत्र तेजाराम
7. बिंजाराम पुत्र तेजाराम
8. समदा पत्नि बींजाराम
9. मैथी पत्नि जेठाराम
10. चौथी पत्नि जेठाराम
11. गंगा पत्नि थानाराम
12. मदनलाल पुत्र बींजाराम
13. मोहनलाल पुत्र बींजाराम
14. डायालाल पुत्र बींजाराम
15. मिश्रीमल पुत्र जेठाराम
16. भंवरलाल पुत्र थानाराम, जातियान माली, निवासीगण भीनमाल, जिला जालोर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल, जिला जालोर।
18. हेमलता पत्नि दिनेश, जाति माली, निवासी बेरा मसाणिया, भीनमाल, जिला जालोर।
19. दरियादेवी पत्नि मोहनलाल, जाति ओसवाल, निवासी भीनमाल, जिला जालोर।
20. डिम्पल देवी पत्नि मुकेश कुमार, जाति माली, निवासी भीनमाल, जिला जालोर।
21. मोहनलाल पुत्र नथाजी, जाति माली, निवासी भीनमाल, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2003 (127/2001) बअनवान किशोरमल वगैरह बनाम अदराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011

पैरोकार–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री अशोक माली, श्री रमेश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांक: 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2003 (127/2001) बअनवान किशोरमल वगैरह बनाम अदराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 ने अदालत मातहत के समक्ष विभाजन खातेदारी हक के सम्बन्ध में दावा मौजा भीनमाल के खसरा नम्बर–4177, 4180, 4187, 4188, 4196, 4175, 4176, 4198 की भूमि के सम्बन्ध में पेश किया था। उक्त दावे में अदालत मातहत ने गलतरूप से तथ्यों व कानून की अन्देखी करके निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अपीलान्ट (प्रतिवादी) अदराराम ने अपने जवाब दावे में वादीगण व प्रतिवादीगण की सामुहिक खातेदारी की भूमि मौजा–भीनमाल के खसरा नम्बर–4174/7112 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर–4173 रकबा 0.01 हैक्टर को भी शामिल करके बंटवाड़ा तय करने के बारे में लिखा था लेकिन अदालत मातहत ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विचार नही करके निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। अदालत मातहत ने दावा व जवाब दावा के अनुसार स्पष्ट तनकियात कायम नही की हैं तथा निर्णय में तनकियात का विवेचन नही किया हैं, फिर भी निर्णय व डिक्री पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। वादीगण ने उनके कब्जे काश्त की भूमि तथा बंटवाड़ा में उनके द्वारा चाही गई भूमि के सम्बन्ध में कोई शाहदत स्वतंत्र पेश नहीं की हैं। अदालत मातहत ने प्रतिवादी अपीलान्ट की शाहदत पर गौर नहीं किया है तथा निर्णय में बिना उल्लेख किये निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। खसरा नम्बर–4188 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि के 5 हिस्सेदार (वादीगण व प्रतिवादी नं. 1) माना हैं लेकिन प्रत्येक को 1/10 हिस्सा दर्ज करने के आदेश व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की हैं। खसरा नम्बर–4175 में किस–किस भाग पर तथा कितने–कितने भाग पर किस–किसके मकान बने हुए हैं तथा किस–किस को कितना–कितना भाग मिलेगा इसका विवेचन नहीं किया गया हैं, जिससे लिटिगेशन व झगड़े बढ़ने वाला निर्णय करना स्पष्ट हो रहा है। खसरा नम्बर–4196, 4187, 4180 पर प्रतिवादी नं. 2 से 15 का कब्जा काश्त किसको आधार मानकर उनके पक्ष में डिक्री जारी की हैं स्पष्ट नही हैं। खसरा नम्बर–4177 में से 0.16 हैक्टेर कौनसी दिशा की भूमि पर प्रतिवादी नं. 2 से 5 का कब्जा काश्त हैं तथा किन तथ्यों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय किया हैं स्पष्ट नहीं हैं, जिससे डिक्री काबिल खारिज है। डिक्री पर्चा व निर्णय के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अंतिम डिक्री सीधे जारी करना स्पष्ट हो रहा हैं। जो कानूनी भूल हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट व दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2011 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 22.12.2001 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 27.05.2002 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 52/2002 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 27.02.2003 द्वारा अपील स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2003 को प्रकरण विचारणार्थ पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 28.03.2011 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा पक्षकारान के मध्य अंतिम रूप से विभाजन करते हुए तहसीलदार भीनमाल को माफिक डिक्री राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। चूंकि वादपत्र सहखातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत वादपत्र में आज्ञापक विधिक प्रावधान अनुसार विभाजन के संबंध में सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है तथा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर उस पर उभयपक्षकारान को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए विधिवत अंतिम डिक्री पारित किया जाना आज्ञापक है तथा अंतिम डिक्री के आधार पर भू–अभिलेख में नामांतरण व तरमीम की कार्यवाही संपादित की जाती हैं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी नहीं कर तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का अंतिम रूप से विभाजन करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुए तहसीलदार को भू–अभिलेख में अमल दरामद किये जाने हेतु निर्देशित कर विभाजन का वादपत्र सीधे ही अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया। जो विभाजन के वादपत्रों के निर्णयन के लिए आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के समुचित अनुपालन नहीं करते हुए पारित की गई हैं। जो दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम नहीं कर उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जबकि वादपत्रों में राजीनामा के अभाव में तथा जवाबदावा द्वारा वादपत्र का खण्डन या विरोध होने की दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 के प्रावधान अनुसार विवाद्यक विरचित किया जाना आज्ञापक है। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2003 (127/2001) बअनवान किशोरमल वगैरह बनाम अदराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित करते हुए प्रकरण में पूर्व में संपन्न उभयपक्षकारान की साक्ष्य को शामिल करते हुए उभयपक्षकारान को नवीन साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 की अनुपालना में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप निर्णित व प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। अपीलांट्स को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि असालतन/वकालतन दिनांक 13.04.2026 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भीनमाल में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली